आरएफपी संदर्भ सं.: रा.आ.बैंक/आईटीडी/आरएफपी-O365 / OUT4496/2020

माइक्रोसोफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड सर्विस और समर्थन हेतु प्रस्ताव हेतु अनुरोध

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-39187000; 011-39187113; 011-39187234
ई-मेल: susanta.padhi@nhb.org.in; munish.bhutani@nhb.org.in

बोली विवरण		
1.	बोली दस्तावेजों की बिक्री शुरु होने की तारीख	14.08.2020
2.	बोली दस्तावेजों की बिक्री / डाउनलोड करने हेतु अंतिम तारीख एवं समय	21.08.2020, 1500 Hrs
3.	बोली दस्तावेजों को प्राप्त करने की अंतिम तारीख एवं समय	07.09.2020
4.	बोली पूर्व बैठक की तारीख एवं समय	07.09.2020, 1800 Hrs
5.	तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय	08.09.2020, 1500 Hrs
6.	आरएफपी की लागत	शून्य
7.	बयाना - जमा राशि	300,000/- रु. (प्रतिदेय)
8.	बोलियां खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रधान कार्यालय कोर 5-ए, तीसरी मंजिल, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003

टिप्पणी: -

- तकनीकी बोलियों को उन बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोला जाएगा जो उपरोक्त में भाग लेना चाहेंगे। उपरोक्त अनुसूची परिवर्तन के अधीन है। किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी

- इसके अतिरिक्त, कृपया ध्यान दें कि वाणिज्यिक बोली खोलने की तारीख, समय और स्थान बाद की तारीख में तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित किए जाएंगे।

- इस आरएफपी के साथ दस्तावेजी साक्ष्य/कंपनी के माध्यम से प्रस्तुत सभी डाटा/सूचना को रिपोर्ट किया जाए एवं इस आरएफपी के प्रकाशन की तारीख को माना जाएगा।

2. राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत की गई है। रा.आ.बैंक एक शीर्ष वित्तीय संस्थान है, जो आवास वित्त क्षेत्र के संवर्धन, विकास और विनियमन के लिए एक अधिदेश के साथ संसद के अधिनियम के अंतर्गत गठित की गई है।
आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं.) को विनियमित करने के अतिरिक्त, रा.आ.बैंक, आ.वि.कं. में इक्विटी भागीदारी एवं वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, आ.वि.कं., सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं, आवास एजेंसियों, आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसमें जनता को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र दोनों का लाभ मिलता है।

रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद, चेन्नै, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद और भोपाल में है।

3. बोलीदाताओं को निर्देश

बोलीदाता से बोली दस्तावेजों में सभी विनिर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों एवं विशिष्टताओं की जांच करने की अपेक्षा की जाती है। बोली दस्तावेजों द्वारा आवश्यक सभी जानकारी प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप बोली रद्द हो सकती है और यह बोलीदाता के जोखिम पर होगी।

3.1 संविदात्मक करार के निष्पादन तक किसी भी उत्तरदाता एवं बैंक के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं होगा।

3.2 प्रत्येक प्राप्तकर्ता यह मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र वेंडर/वेंडरों को छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है। आरएफपी दस्तावेज़ किसी अनुबंध या व्यवस्था का भाग नहीं बनेगा, जिसके परिणामस्वरूप इस दस्तावेज़ को जारी करना या प्राप्तकर्ता द्वारा की गयी जाँच या समीक्षा से है।

3.3 प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस आरएफपी की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

3.4 बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस आरएफपी से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें

श्री सुशांत कुमार पाधी उप महाप्रबंधक ईमेल आईडी: susanta.padhi @ nhb.org.in दूरभाष: 011-39187113; 01139187000-एक्स. 113 फैक्स: +91 - 11 – 24649432	मुनीष भूटानी क्षेत्रीय प्रबंधक (आईटी) ईमेल: munish.bhutani@nhb.org.in टेलीफोन: 011-39187187; 01139187000-एक्स. 187 फैक्स: +91 - 11 – 24649432

3.5 बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी के बंद होने के पश्चात किसी भी उत्तरदाताओं से कोई अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है और दी जाने वाले ऐसी सभी सूचना और सामग्री उत्तरदाताओं के प्रत्युत्तर का भाग होनी चाहिए।

3.6 यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरएफपी हेतु प्रत्युत्तर तुरंत सूचित किया जाए, उत्तरदाताओं को अपने संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन, ई-मेल, फैक्स एवं पूरे पते का विवरण देना चाहिए।

3.7 यदि बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर यह पाए कि प्रश्न के प्रत्युत्तर से प्रश्न के प्रणेता को लाभ होगा तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह ऐसे प्रत्युत्तर को सभी उत्तरदाताओं को सूचित करें।

3.8 यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो उपर्युक्त संपर्क व्यक्ति से (सोमवार से शुक्रवार, सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) किसी भी कार्यदिवस पर प्रात: 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बैंक अपने संपूर्ण विवेक पर आरएफपी बंद होने या किसी भी प्रतिक्रिया को स्पष्ट करने के बाद, किसी भी उत्तरदाता (या साथ में एक से अधिक उत्तरवादी) के साथ चर्चा या बातचीत कर सकता है।

- वेंडर को भारत सरकार के किसी भी विभाग/पीएसयू/बैंकों/भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा बोली प्रक्रिया में भाग लेने से ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- बैंक सभी चयनित उत्तरदाताओं को अपने आरएफपी के परिणाम के बारे में लिखित में या मेल द्वारा या अपने वेबसाइट पर प्रकाशित कर सूचित करेगा। बैंक किसी भी स्वीकार या अस्वीकार हेतु कोई कारण प्रदान करने हेतु बाध्य नहीं है।

- वे बोली जो न्यूनतम योग्यता पात्रता मानदंड पूरा करती है, वे आगे के मूल्यांकन के लिए पात्र होगी और बाद में वे बोलियां जो न्यूनतम पात्रता मानदंड और तकनीकी मूल्यांकन दोनों को पूरा करती है वे वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए पात्र होगी।

3.1 बोली पूर्व बैठक

इस आरएफपी से संबंधित मुद्दों पर बोलीदाताओं के संदेहों के स्पष्टीकरण के प्रयोजनार्थ, रा.आ.बैंक आरएफपी में इंगित की गई तिथि व समय पर बोली पूर्व बैठक आयोजित करना चाहता है। सभी बोलीदाताओं के प्रश्न लिखित में ईमेल द्वारा/पोस्ट द्वारा उपरोक्त पते पर बोली पूर्व बैठक की तिथि से न्यूनतम 2 दिन पहले मेल या ई-मेल द्वारा पहुंच जाना चाहिए। यह भी ध्यान दें कि किसी भी बोलीदाता के पूर्व बोली बैठक के पश्चात प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्नों पर स्पष्टीकरण बोली पूर्व बैठक में दिया जाएगा। बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि को ही बोली पूर्व बैठक में भाग लेने की अनुमति होगी।

3.2 निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति

निविदा दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति रा.आ.बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी। बोलीदाताओं को ईसीएस के माध्यम से 5000/- रु (पांच हजार रुपये मात्र) की अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता होगी जैसा कि अनुलग्नक 'जे' में वर्णित है। भुगतान का प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए और तकनीकी बोली वाले लिफाफे में डाल दिया जाना चाहिए; ऐसा न करने पर बोली को आगे के मूल्यांकन के लिए नहीं माना जा सकता है।

3.3 निविदा की गैर हस्तांतरणीयता

यह निविदा दस्तावेज हस्तांतरणीय नहीं है।

3.4 गोपनीयता का विवरण

इस दस्तावेज़ में राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) के लिए स्वामित्व और गोपनीय जानकारी है, जिसे बोलीदाता की कंपनी के बाहर, प्रेषित, या डुप्लिकेट, पूरे या आंशिक रूप से अपने इच्छित उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। रा.आ.बैंक की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना पूरे या इस जानकारी के हिस्से में कोई भी उपयोग या प्रकटीकरण निषिद्ध है। आरएफपी दस्तावेज़ प्राप्तकर्ता को रा.आ.बैंक को प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए गोपनीयता के उपक्रम के आधार पर प्रदान किया जाता है। रा.आ.बैंक आरएफपी दस्तावेज या इसके किसी भी हिस्से को अद्यतन या संशोधित कर सकता है। प्राप्तकर्ता इस बात को स्वीकार करता है कि इस तरह के किसी भी सुधार या संशोधित दस्तावेज़ को इस नियम और शर्तों के अधीन प्राप्त किया जाता है जो इस मूल और समान गोपनीयता उपक्रम के अधीन हैं। प्राप्तकर्ता रा.आ.बैंक की सहमति के बिना किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, सलाहकार, निदेशक, एजेंट, या किसी भी तरह से जुड़े या संबद्ध किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, सलाहकार, निदेशक या एजेंट के साथ आरएफपी दस्तावेज़ की सामग्री का खुलासा या चर्चा नहीं करेगा। रा.आ.बैंक की स्पष्ट लिखित अनुमति के बिना पूरे या इस जानकारी के हिस्से में कोई भी उपयोग या प्रकटीकरण निषिद्ध है।

3.5 बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

3.6 मास्क्ड वाणिज्यिक बोली

बोलीदाताओं को (बैंक द्वारा निर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार) वास्तविक मूल्य बिड की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जो वास्तविक मूल्यों को छिपाकर बैंक को प्रस्तुत की जा रही है। यह अनिवार्य है। बिड अनहर्क ठहराई जा सकती है, यदि इसे उचित रूप से छिपा कर प्रस्तुत नहीं किया जाता है। बैंक के पास वाणिज्यिक मूल्यांकन के समय बिड को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि (मूल्य के अतिरिक्त) छिपाई वाणिज्यिक बिड का फार्मेट/विवरण प्रस्तुत की गई वास्तविक वाणिज्यिक बिड के फार्मेट/विवरण के साथ मेल नहीं खाता है। कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

3.7 विलोपन या परिवर्तन

विलोपन या परिवर्तन वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा सकता है। बैंक के विवेकाधिकार पर किसी भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन पर विचार किया जा सकता है, केवल तभी यदि वह बोलियों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा आद्याक्षरित हो। तथापि, वाणिज्यिक बोली में किसी भी फोर्म में कोई भी अंतरालेखन, विलोपन या उपरी लेखन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रस्ताव में हाथ से लिखी हुई सामग्री, सुधार या बदलाव नहीं होना चाहिए। तकनीकी विवरण पूरी तरह से भरा होना चाहिए। प्रस्तावित उत्पाद की सही तकनीकी जानकारी भरी होनी चाहिए। “ठीक”, “स्वीकृत”, “विख्यात”, जैसा कि ब्रोशर/नियमावली में दिया गया है, इन शब्दों का प्रयोग करके जानकारी भरना स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, रा.आ. बैंक इन दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रस्तावों को अस्वीकृत करेगा। रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकर पर, प्रस्ताव में कोई भी मामूली गैर-अनुरुपता या किसी भी मामूली अनियमितता में छूट कर सकता है। यह सभी बोलिदाताओं पर बाध्यकारी होगा तथा रा.आ.बैंक इस तरह की छूट के लिए अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.8 बोली दस्तावेज में संशोधन

- बोलियों की प्रस्तुति हेतु अंतिम समय सीमा से पूर्व किसी भी समय बैंक, किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों में सुधार करते हुए संशोधन कर सकता है।
- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।
- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आरएफपी में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) बोली प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। बोलीदाता/ओं द्वारा किसी भी प्रकार के चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- रबैंक अपने विवेक पर बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में आरएफपी को रद्द करने या निविदा प्रक्रिया को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

3.9 स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकार

राष्ट्रीय आवास बैंक के पास निविदा में निर्धारित प्रस्तावित स्थल/स्थलों को संशोधित करने का अधिकार है। राष्ट्रीय आवास बैंक के पास समय-समय पर निविदा में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है।

3.10 बोली में शामिल किये जाने वाले दस्तावेज

- बोली में दो प्रस्ताव हैं अर्थात तकनीकी प्रस्ताव और वाणिज्यिक प्रस्ताव

- तकनीकी प्रस्ताव के दस्तावेजों में शामिल होने चाहिए:

  - यह सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य कि बोलीदाता बोली का पात्र है और संविदा निष्पादित करने के योग्य है अर्थात अनुलग्नक –डी के अनुसार न्यूनतम पात्रता मानदंड।
  - अनुलग्नक –जी के अनुसार तकनीकी बोली। किसी भी तकनीकी बोली को जिसमें मूल्य की जानकारी होगी, अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
  - राष्ट्रीय आवास बैंक को 5000/- रु. (अप्रतिदेय) के ई-भुगतान करने का प्रमाण।
  - राष्ट्रीय आवास बैंक को 200,000/- रु. (प्रतिदेय) के ई- भुगतान करने का प्रमाण।
  - न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली, मास्क्ड वाणिज्यिक बोली की सॉफ्ट कॉपी।
  - मास्क्ड मूल्य बोली जिसमें वाणिज्यिक बोली में सूचीबद्ध सभी घटकों की सूची जिसमें मूल्य का उल्लेख न हो।
  - आरएफपी लागत और ईएमडी की राशि रहित बोली अस्वीकृत कर दी जाएंगी।

- वाणिज्यिक प्रस्तावों के दस्तावेजों में शामिल होने चाहिए –

  - अनुलग्नक –एच के अनुसार, आवरण पत्र के साथ अनुलग्नक –आई के अनुसार पूर्ण वाणिज्यिक बोली
  - वाणिज्यिक बोली, मूल्य बोली की सॉफ्ट कॉपी, जिसमें कोई भिन्नता या समान धाराएं होंगी, पूरी तरह से रद्द की जा सकती है
  - कोई अन्य सूचना पृथक अनुलग्नकों में दी जा सकती है

3.11 बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।

3.12 बयाना जमा राशि (ईएमडी)

i. सभी बोलियां राष्ट्रीय आवास बैंक के पक्ष में ई भुगतान के माध्यम से 300,000/- रूपये (तीन लाख रूपये मात्र) की प्रतिदेय ब्याज मुक्त प्रतिभूति जमा राशि के साथ होनी चाहिये।

रा.आ.बैंक खाते का विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:

क्र. सं.	प्रकार	विवरण
1	लाभार्थी का नाम	राष्ट्रीय आवास बैंक
2	लाभार्थी का पता	कोर ए 5, चतुर्थ तल, भारत पर्यावास केंद्र , लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
3	लाभार्थी के बैंक का नाम	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
4	लाभार्थी के बैंक की शाखा का पता	प्रगति विहार दिल्ली शाखा, भूतल, कोर-6, स्कोप कांपलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली-110003
5	बैंक खाते का प्रकार	चालू खाता
6	लाभार्थी बैंक खाता सं .	52142903844
7	बैंक की शाखा का आईएफसी कोड	SBIN0020511
8	एमआईसीआर सं .	110002658

ii. भुगतान का साक्ष्य संलग्न होना चाहिए तथा तकनीकी बोली लिखकर लिफाफे में रखा जाना चाहिए; जिसकी अनुपस्थिति में बोली आगे मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जा सकती।

बोलीदाता को ईसीएस अधिदेश प्रपत्र, जैसा अनुलग्नक ‘जे’ में संलग्न है, प्रस्तुत करना आवश्यक है।

iii. यथोचित प्रारूप तथा प्रणाली में ईएमडी के बिना प्राप्त कोई भी बोली अनुत्तरदायी और अस्वीकार की जाएगी।

iv. ईएमडी से छूट हेतु अनुरोध पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

v. सभी असफल बोलीकर्ताओं की ईएमडी राशि निविदा प्रक्रिया के पूरा होने पर वापस कर दी जाएगी।

vi. सफल बोलीदाता को एसएलए के निष्पादन के बाद ईएमडी राशि वापस की जाएगी और आरएफपी की शर्तों के अनुसार अनुबंध मूल्य के 10% के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत की जाएगी।

vii. ईएमडी सुरक्षा जब्त की जा सकती है:

- यदि बोलीदाता बोली वैधता अवधि के दौरान अपनी बोलियां आहरित कर लेता है;
- संविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले किसी समय यदि बोलीदाता कोई बयान देता है अथवा कोई प्रारूप संलग्न करता है जो झूठ/गलत पाया जाता है;
- सफल बोलीदाता के मामले में, यदि बोलदाता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल हो जाता हैः तथा

3.13 <u>कार्य-निष्पादन गारंटी</u>

चयनित बोलदाता को कार्यनिष्पादन गारंटी (अनुलग्नक 'एल' में प्रारूप) के रूप में स्वामित्व (कृपया अनुलग्नक 'आई' के स्वामित्व एक्स की कुल लागत का संदर्भ लें) की कुल लागत के 10% की बैंक गारंटी किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से देनी होगी। निष्पादन गारंटी संविदा अवधि यानी 3 वर्ष समाप्त होने के बाद कम से कम तीन माह तक वैध रहनी चाहिए। यदि अनुबंध अवधि को आरएफपी की शर्तों के अनुसार बढ़ाया जाता है, तो इसे बढ़ाया जाना आवश्यक है। सफल बोलीदाता द्वारा श्रम कानूनों और किसी भी अन्य कानूनों / नियमों / विनियमों सहित लागू सांविधिक प्रावधानों का पालन न करने सहित आरएफपी अवधि में गैर-कार्यनिष्पादन या चूक के जोखिम के एवज में रा.आ.बैंक के हितों की रक्षा के लिए पीबीजी की आवश्यकता होती है। अनुबंध की शर्तों के सफल कार्यान्वयन में चूक, पीबीजी के आह्वान को वारंट कर सकता है, और यदि बोलीदाता के किसी भी कार्य के परिणामस्वरूप चलनिधि क्षतिपूर्ति / जुर्माना लगाया जाता है, तो रा.आ.बैंक प्रस्तुत बैंक गारंटी को लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

3.14 <u>चलनिधि क्षतिपूर्ति</u>

सेवा प्रदाता को निम्नलिखित समय सीमा के अनुसार सौल्यूशंस को वितरित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी, जो लागू होने पर चलनिधि क्षतिपूर्ति (एलडी) को हटा दिया जाएगा:

अंग्रेजी तालिका अनुसार

3.15 बोलियों की वैधता अवधि

• बोलीदाताओं द्वारा दी गई कीमतें और अन्य शर्तें वाणिज्यिक बोली जमा करने की तारीख से 6 महीने की स्वीकृति अवधि के लिए वैध होनी चाहिए।

• असाधारण परिस्थितियों में बैंक बोलीदाताओं की वैधता की अवधि के विस्तार के लिए सहमति दे सकता है। अनुरोध और

प्रतिक्रिया लिखित रूप में किया जाएगा। प्रदत्त बोली सुरक्षा को भी बढ़ाया जाएगा।

3.16 बोली प्रारूप तथा हस्ताक्षर

प्रत्येक बोली दो भागों में होगी:

• भाग I: न्यूनतम पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली एवं मास्क्ड वाणिज्यिक बोली [बिना किसी कीमत के बोली] सहित। उपरोक्त सामग्री को "तकनीकी प्रस्ताव" के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

• भाग II: यहां केवल वाणिज्यिक बोली को कवर किया गया है, जिसे " वाणिज्यिक प्रक्रिया" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

• मूल बोली टाइप की जाएगी या अमिट स्याही में लिखी जाएगी और बोलीदाता या उस व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जो विधिवत अनुबंध पर बोली लगाने के लिए प्राधिकृत है। बोली पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति या व्यक्ति बिना प्रिंट किए हुए असंशोधित साहित्य को छोड़कर, बोलियों के सभी पन्नों को प्रारंभिक रूप से लिखेंगे।

3.17 बोलियों की मुहरबंदी एवं चिह्नांकन

- लिफाफे नीचे दिये पते पर बैंक को भेजे जाएंगे:

  उप महाप्रबंधक
  सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
  राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर -5ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केन्द्र
  लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा होना चाहिए।
- बोलीदाता तकनीकी और वाणिज्यिक प्रस्तावों वाले लिफाफे अलग से मुहरबंद करेगा।
- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और इसके ऊपर यथा लागू "माइक्रोसोफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड सर्विस हेतु तकनीकी प्रस्ताव एवं "माइक्रोसोफ्ट ऑफिस 365 क्लाउड सर्विस हेतु वाणिज्यिक प्रस्ताव" अलग से लिखा हो।

- यदि लिफाफों मुहरबंद और चिन्हित नहीं किया गया तो बैंक बोलियों के गुम होने या समय पूर्व खुल जाने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

- ऐसी बोली जो ठीक प्रकार से मुहरबंद नहीं हुई उन पर विचार नहीं किया जाएगा और सहारा के बिना अस्वीकृत कर दिया हो जाएगी।

3.18 <u>बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख</u>

- बोलियां बैंक को निर्दिष्ट पते पर बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।

- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि की स्थिति में, यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी।

- बैंक अपने विवेकाधिकार पर, बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है, इस मामले में, बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

3.19 <u>विलंब से प्राप्त बोलियां</u>

बैंक द्वारा निर्धारित बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद बैंक को प्राप्त कोई भी बोलियां रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

3.20 बोलिया या संशोधन एवं/या आहरण

• प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

• बोलीदाताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे बोली पूर्व बोली बैठक के बाद ही प्रस्तुत करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा, और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को जमा करने की समय सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• रा.आ.बैंक को कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-रसीद / गैर-डिलीवरी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

3.21 बैंक बैंक द्वारा बोलियां खोला जाना

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- बोलीदाता का नाम और अपेक्षित ईएमडी की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, आरएफपी लागत और बैंक के रूप में इस तरह के अन्य विवरणों को जैसा बैंक उचित समझे अपने विवेकानुसार तकनीकी बोली खोलने के समय घोषणा की जाएगी।

3.22 बोलियों पर स्पष्टीकरण

बोलियों के मूल्यांकन के समय, बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.23 प्रारंभिक जांच

- बैंक यह निर्धारित करने के लिये बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।

- बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बोली की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

3.24 प्रस्ताव का स्वामित्व

वेंडर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

3.25 बोलीदाताओं को निर्देशः

बोलीदाता बैंक द्वारा सौपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

3.26 मूल्य संरचना और भिन्नता

• वेंडर को अनुबंध में दी गई संरचना के अनुसार लागत मैट्रिक्स को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। किसी भी विचलन से बोली अस्वीकृति हो सकती है। साथ ही वाणिज्यिक बोली के अलावा कोई विकल्प नहीं कोट किया जाना चाहिए। जहां भी विकल्प दिए जाते हैं, वहां बोली अस्वीकार कर दी जाती है।

• वाणिज्यिक प्रस्ताव एक निश्चित मूल्य के आधार पर होगा। अनुबंध की अवधि के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य के लिए करों (वर्तमान और भविष्य) सहित परामर्श की लागत से संबंधित कोई भी मूल्य भिन्नता को शामिल नहीं किया जाएगा।

• परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि साइन-ऑफ की तारीख होगी। यदि लागू हो, तो उसी तिथि को समर्थन सेवाओं आदि के नवीनीकरण के लिए विचार किया जाएगा।

3.27 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धता

वेंडर के पास नई दिल्ली एवं एनसीआर में उचित और पर्याप्त सहायक तंत्र उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह इस आरएफपी में शामिल इस परियोजना के तहत सभी अपेक्षित सहायता उपलब्ध कर सके।

3.28 मैनुअल/डॉइंग

वेंडर संविदा की अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई सेवाएं के लिए संपूर्ण तकनीकी एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। सभी मैनुअल अंग्रेजी में होने चाहिए और उपलब्ध कराई गई सेवाएं सप्ष्ट तौर पर उल्लिखत होनी चाहिए।

3.29 बोली मूल्यांकन

• बैंक बोली के सामान्यीकरण के लिए और बोलियों के मूल्यांकन के लिए बाहरी सलाहकार की सेवाएं ले सकता है।

• आरएफपी के अनुसार अपनाए जाने वाले प्रस्तावित मानदंड गुणवत्ता सह लागत आधारित प्रणाली (क्यूसीबीएस) होगी।

- **विस्तृत बोली मूल्यांकन पद्धति और बोलीदाता का चयन भाग 8 में दिया गया है।**

- गणितीय भूल सुधार:
  0 मूल्य विवरण फार्मेट में गणितीय गलती, यदि कोई हो, निम्नलिखित अनुसार ठीक की जाएगी:

  - यदि इकाई मूल्य जो मात्रा के साथ इकाई मूल्य को गुणा करके प्राप्त किया जाता है, के और कुल मूल्य के बीच कोई विसंगति है, तब इकाई मूल्य ही रहेगा, कुल मूल्य ठीक किया जाएगा जब तक कि यह अल्प अंक नहीं बन जाता है। यदि बोलीदाता भूल सुधार स्वीकार नहीं करता है तब उसकी बोली निरस्त कर दी जाएगी।
  - यदि अंकों एवं शब्दों में उद्धृत इकाई मूल्य में कोई विसंगति है तब यथास्थिति, शब्दों या अंकों में इकाई मूल्य, जो उस मद के लिए कुल बोली मूल्य के तदनुरूप है, तब शब्दों में उद्धृत इकाई मूल्य सही माना जाएगा।
  - यदि वेंडर ने कुल बोली मूल्य का हिसाब नहीं लगाया है या कुल बोली मूल्य शब्दों में या अंकों में पहले उद्धृत किये इकाई मूल्य के समान नहीं है, तब शब्दों में उद्धृत इकाई मूल्य सही माना जाएगा।
  - बैंक किसी भी बोली में मामूली विसंगति, असमानता या अनियमितता जो कोई बड़ी भिन्नता नहीं होती है, बशर्ते इस छूट देने से किसी बोलीदाता की सापेक्ष रैंकिंग प्रभावित नहीं होती हो।
  - शब्दों में उल्लिखित आंकड़ों को अंतिम माना जाएगा क्योंकि आंकड़ों में उद्धृत मूल्य और शब्दों में उद्धृत मूल्य के बीच बेमेल है।

3.30 संशोधन एवं वापसी

एक बार प्रस्तुत की गयी बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी। यदि बोली लगाने वाला सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.31 कीमतों का रिवीलेशन

किसी भी रूप में या किन्हीं कारणों से कीमतों को वाणिज्यिक बोली को छोड़कर बोली के तकनीकी या अन्य भागों में प्रकट नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

3.32 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्तें

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

3.33 स्थानीय परिस्थितियां

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

3.34 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालना

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

3.35 प्रस्ताव की सामाग्री

वेंडरों के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि वेंडर ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। वेंडर के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियोजना में वेंडर की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

3.36 प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर किये गये आपूर्तिकर्ता

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

3.37 कानूनों का अनुपालन

क) बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

ख) बोलीदाता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3.38 <u>बौद्धिक संपदा अधिकार</u>

चयन की स्थिति में बोलीदाता यह वारंट देता है कि:

(क) उपलब्ध कराई गयी निविष्टियां कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ख) यह आगे वारंट देता है कि प्रदेय कॉपी राइट, पेटेंट एवं किसी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार जो भी हो, सहित किसी तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार की अवहेलना नहीं करेंगे।

(ग) ऐसी स्थिति में प्रदेय तीसरे पक्ष की बौद्धिक संपदा अधिकार के उल्लंघन अथवा अवहेलना के दावे के विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा अथवा खर्चे पर (क) रा.आ.बैंक के लिए ऐसे प्रदेय इस्तेमाल करना जारी रखने का अधिकार प्राप्त करेगा; (ख) ऐसे प्रदेयों को गैर अवहेलनायुक्त बनाते हुए बदलेगा अथवा संशोधित करेगा परंतु उक्त क्रियाकलाप अवहेलना करने वाले प्रदेयों के तौर पर प्रदेय बदले अथवा संशोधित किये गये; हों अथवा (ग) यदि प्रदेय इस्तेमाल करने का अधिकार प्राप्त न किया जा सके अथवा प्रदेय को बदला न जा सके अथवा संशोधित न किया जा सके एवं प्रदेयों वापसी स्वीकार करना एवं बोलीदाता को ऐसे प्रदेयों के लिए अदा की गई कोई राशि के लिए रा.आ.बैंक की प्रतिपूर्ति के साथ दंड के अतिरिक्ति समतुल्य उपकरण की अधिप्राप्ति के लिए रा.आ.बैंक द्वारा खर्च किये गये प्रतिस्थापन लागत की रा.आ.बैंक द्वारा वसूली की जाएगी। हालांकि रा.आ.बैंक इस संबंध में किसी प्रकार के खर्च, प्रभार, शुल्क अथवा किसी प्रकार की लगात का वहन नहीं करेगा। इसमें समाविष्ट निराकरण होते हुए भी बोलीदाता दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा यदि रा.आ.बैंक की असमर्थता के कारण प्रस्तावित साधन का इस्तेमाल करने में सेवा स्तर की

पूर्ति नहीं होती है।

(घ) बोलीदाता यह स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक के करोबार के तर्क, कार्य प्रवाह, प्रत्यायोजन एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया संवेदनशील प्रकृति का विषय है एवं अत: इसे सॉफ्टवेयर के अन्य ग्राहकों, एजेंटों अथवा वितरकों को नहीं भेजेगा। ऐसी परियोजना अधूरी समझी जाएगी यदि परियोजना के वांछित उद्देश्य यथा परियोजना के कार्य क्षेत्र में उल्लखित है, की पूर्ति नहीं करते हैं व यदि प्रणाली विभिन्न अपेक्षाओं यथा आरएफपी के दर्शाया गया है, से विधिवत समर्थित प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करने में असमर्थ रहती है।

3.39 झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गयी उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

(क) यदि ऐसा विवरण निविदा के चरण में पाया जाता है तो उसकी कुल बायाना/ईएमडी राशि जब्त कर दी जाएगी एवं निविदा/बोली को सरसरी तौर पर ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो बैंक अपने निर्णयनुसार उचित कार्रवाई कर सकता है।

4. वर्तमान सेट-अप

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

5. कार्य क्षेत्र

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

6. सेवा स्तर एवं अर्थदंड खंड

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

7. परियोजना अनुसूची

सेवा प्रदाता को निम्नलिखित समय सीमा के अनुसार सौल्यूशन को वितरित और कार्यान्वित करने की आवश्यकता होगी, ऐसा न करने पर चलनिधि क्षतिपूर्ति (एलडी) को हटा दिया जाएगा:

तालिका अंग्रेजी अनुसार

रा.आ.बैंकदिल्ली कार्यालय में सेवा प्रदाता की परियोजना टीम के साथ साप्ताहिक आधार पर कार्यान्वयन और प्रवासन प्रक्रिया की प्रगति के बारे में समीक्षा और चर्चा करेगा।

8. बोली प्रक्रिया (दो स्तर)

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

9. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What’s New

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

XXXXXXXXXXX